आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 26.11.2024 समय : 0705

<><><><><><><><>

1. सरकार ने संविधान को अपनाने के पचहत्तरवें वर्ष के उपलक्ष्य में आज से साल भर चलने वाले समारोहों की घोषणा की।

2. अण्डमान निकोबार के नए मुख्य सचिव डॉ. चन्द्रभूषण कुमार ने कल मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला।

3. अण्डमान सागर में बैरन द्वीप के नजदीक भारतीय तटरक्षक को नशीले पदार्थों का कारोबार करने के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ मिली है।

4. दक्षिण अंडमान जिले में बिना वैध लाइसेंस के होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट को संचालित करने की अनुमति नही है।

5. द्वीपसमूह में एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कई उत्पादों के निर्माण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है।

<><><><><><><><>

केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देशभर में आज से अगले वर्ष छब्बीस नवंबर तक चलेगा। छब्बीस नवम्बर, उन्नीस सौ उनचास को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यह छब्बीस जनवरी, उन्नीस सौ पचास को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। श्री रिजिजू ने कहा कि अभियान का उद्देश्य भारतीय संविधान की मसौदा समिति की हिस्सा रही पन्द्रह असाधारण महिलाओं के योगदान को महत्व देना भी है।

<><><><><><><><>

बोधिसत्वा अम्बेडकर सांस्कृतिक संगठन की ओर से आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम सुबह आठ बजकर पन्द्रह मिनट पर गोलघर स्थित संगठन के परिसर में आयोजित किया जाएगा।

<><><><><><><><>

अण्डमान निकोबार प्रशासन के नए मुख्य सचिव उन्नीस सौ पचानबे बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉ. चन्द्रभूषण कुमार ने कल मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

प्रशासन में शामिल होने और कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव ने राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की।

<><><><><><><><>

संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरु हो गया। छब्बीस दिनों तक चलने वाले इस सत्र में उन्नीस बैठकें होंगी, हालांकि आज संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास को संविधान को अंगीकार किया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की बीस तारीख तक चलेगा। विधाई कार्यों में कुल सोलह विधेयक सूचीबद्ध हैं। जिन्हें इस सत्र के दौरान पारित किए जाने की संभावना है इन विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक दो हजार चौबीस, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक दो हजार चौबीस शामिल है। इसके अतिरिक्त सत्र के दौरान वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा।

<><><><><><><><>

अण्डमान सागर में बैरन द्वीप के नजदीक भारतीय तटरक्षक को नशीले पदार्थों का कारोबार करने के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और करीब साढ़े पांच हजार पांच सौ किलों नशीले पदार्थों के साथ छह म्यांमारियों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कई हजार करोड रूपए होगी। अपनी निगरानी और मुश्तैदी के चलते अण्डमान निकोबार कमान के तटरक्षक डोर्नियर जहाज़ ने तेईस नवम्बर को एक संदिग्ध नौका देखी और इसकी सूचना कमान मुख्यालय में संयुक्त संचालन केन्द्र को दी गई। बाद में तटरक्षक की ओर से तीव्र गति के जलयान अरूणा आसफ अली को संदिग्ध नौका के पीछे भेजा गया। बैरन द्वीप से आठ समुद्री मील की दूरी पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में इस नौका को पाया गया। भारी मात्रा में मादक पदार्थों के अलावा सेट लाइट फोन भी बरामद हुआ है। फिलहाल पकडे गए नौका को नशीले पदार्थों और छह म्यांमारी नाविकों के साथ श्री विजयपुरम आगे की जांच के लिए लाया गया है।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले में राष्ट्र विरोधी ताकतों के संदिग्ध गैर–गतिविधियों को रोकने और जनता तथा उनकी सम्पत्तियों की रक्षा के लिए जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की ओर से सभी होटल, आतिथि आवासों, लॉज और होम स्टे मालिकों के लिए लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें ही जिले में संचालित करने की अनुमति है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में समुचित मात्रा में सीसी टीवी कैमरा भी होने चाहिए, जिसके जरिए लोगों के परिसरों में

प्रवेश और निकासी का पता चल सके। सभी कैमरा कार्य करने की स्थिति में हो और कवरेज को कम से कम तीस दिनों तक संरक्षित रखना होगा। ऐसे सभी संस्थानों को परिसर में रहने वाले लोगों के बारे में पूर्ण जानकारियां रखने के लिए रजिस्टर भी बनाए रखना होगा और संबधित लोगों की वैध पहचान की कॉपी भी रिकॉर्ड के लिए रखनी होगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को फार्म सी भरकर निर्धारित अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह आदेश कल से लागू हो गया है, जो अगले साठ दिनों तक जारी रहेगा। आदेश में इसका पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा दो सौ आठ के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप–किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि इस निर्णय से असामाजिक तत्वों के भागने या छिपने पर रोक लगाया जा सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा तथा ज़िले में शांति को भी कायम किया जा सकेगा। आदेश के तहत किसी भी मकान मालिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक या मालिकों को किराएदारों या पेईंग गेस्ट को रखने से पहले स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। नौकर के संबंध में भी यह आदेश लागू होगा। आदेश कल से लागू हो गई है और अगले साठ दिनों तक लागू रहेगी।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कई उत्पादों के निर्माण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई–कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर्स, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आम जनता से चिन्हित एकल इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने का आग्रह किया गया है। इसमें प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, बोतल, शैम्पू–मसालो के पाउच, लाइटर, कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेटों के चारों ओर लपेटने या पैकिंग करने वाली फिल्म शामिल हैं। सौ माइक्रोन से कम के पी. वी. सी बैनरों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अण्डमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम दो हजार सोलह का हवाला देते हुए इस संबंध में नोटिस जारी कर जनता सहित सभी संबंधितो को सूचित किया है। ई–कॉमर्स वेबसाइट पर भी एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उत्पादो की बिक्री के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

<><><><><><><><>

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है, इसलिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस–यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंक के अनुसार, यूपीआई की क्षमताओं में सुधार के साथ अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से सोलह दशमलव छः अरब का लेन–देन हुआ, जो महत्वपूर्ण है। इसमें छियासी प्रतिशत तक भुगतान की तत्काल सफल वापसी शामिल है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने बताया कि भारत का यूपीआई, एक ओपन एंडेड प्रणाली है, जिसमें शामिल किसी भी बैंक के एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों के उपयोग की सुविधा मिलती है।

<><><><><><><><>